

प्रेषक,

मनोज कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।
3. कुलसचिव,  
समस्त निजी विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 2021

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समयबद्ध रूप से प्रवेश प्रक्रिया को सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-1200 /सत्तर-3-2021-08(20)/2020 दिनांक 08 जून, 2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य/निजी विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किये जाने/परीक्षाओं के आयोजन किये जाने के लिये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। सेमेस्टर पद्धति/वार्षिक परीक्षा पद्धति के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में उपरोक्त शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा यथास्थिति स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के अंक निर्धारित करते हुये उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया में छात्र/छात्राओं के समक्ष किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

2- 12 वीं कक्षा के परिणामों के आधार पर स्नातक प्रथम वर्ष में छात्र/छात्राओं के प्रवेश की कार्यवाही राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रचलित है। तत्कम में यह उल्लेखनीय है कि कोविड-19

महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण सत्र को विनियमित करने एवं छात्रहित में माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु लिखित बोर्ड परीक्षा को निरस्त करते हुये अपने शासनादेश संख्या-1128/15-7-1(20)/2020 दिनांक 20-6-2021 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इण्टरमीडिएट के जिस किसी भी परीक्षार्थी (व्यक्तिगत/संस्थागत) के कक्षा-11 की दोनों परीक्षाओं (वार्षिक परीक्षा व अर्द्धवार्षिक परीक्षा) एवं/अथवा कक्षा-12 की प्री-बोर्ड परीक्षा तथा हाईस्कूल के जिस किसी भी परीक्षार्थी (व्यक्तिगत/संस्थागत) के कक्षा-9 की वार्षिक परीक्षा एवं/अथवा कक्षा 10 की प्री-बोर्ड परीक्षा के अंक उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें बिना अंको के सामान्य रूप से प्रोन्नत कर दिया जायेगा।

3- माध्यमिक शिक्षा विभाग के उक्त निर्णय के उपरान्त हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की निरस्त की गयी परीक्षा का परीक्षाफल माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज द्वारा दिनांक 31-7-2021 को घोषित किया गया, जिसमें उक्त शासनादेश दिनांक 20-6-2021 में उल्लिखित व्यवस्था के आलोक में ऐसे परीक्षार्थियों, जिनके पूर्व वर्षों की परीक्षाओं के अंक उपलब्ध नहीं थे, को बिना अंकों के सामान्य रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

4- उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा अथवा 12 वीं कक्षा के परिणाम पर आधारित प्रवेश की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। प्रवेश परीक्षा अथवा 12 वीं कक्षा के परिणाम पर आधारित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से स्नातक कक्षाओं में प्रवेश दोनो ही प्रक्रियाओं में राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 12 वीं कक्षा के ऐसे छात्र, जिनके परीक्षा परिणाम बिना अंको के सामान्य रूप से प्रोन्नत कर दिये गये हों, के प्रवेश हेतु समस्त विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षित है कि ऐसे छात्रों के लिये प्रवेश हेतु समुचित व्यवस्था की जाय ताकि ऐसे छात्र/छात्राओं के प्रवेश में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः आरम्भ किये जाने हेतु कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये खोले जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1786/सत्तर-3-2021-08(20)/2020 दिनांक 04-8-2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08 जून, 2021 एवं शासनादेश दिनांक 04-8-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
  
(मनोज कुमार)  
विशेष सचिव

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या : 1200 / सत्तर-3-2021-08(20) / 2020

प्रेषक,

अब्दुल समद,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,  
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद,  
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 08 मई, 2021

विषय: उच्च शिक्षा विभाग में शैक्षिक सत्र 2020-2021 में छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020-2021 में छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने/परीक्षाएं आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित रहे तथा छात्रों का भविष्य सुरक्षित हों, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मार्गदर्शी दिशा-निर्देश संलग्न कर आपको इस निर्देश सहित प्रेषित किए जा रहे हैं कि कृपया विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध करने का कष्ट करें कि वह अपनी परिस्थितियों एवं छात्रों की आवश्यकतों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की परिणियमावली के दृष्टिगत कार्य परिषद/सक्षम अधिकारी के स्तर से सम्यक् विचार कर निर्णय लें तथा परीक्षा के कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय की कार्ययोजना से उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 18.06.2021 तक अवगत करायें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अब्दुल समद) 2  
विशेष सचिव।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य/निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षिक सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किये जाने/ परीक्षाओं का आयोजन किए जाने के लिये दिशा-निर्देशों का निर्धारण किया जाना :-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपटित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फ़ैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत छात्रहित में उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र के दौरान ऑनलाइन पठन-पाठन की निरन्तर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। इस हेतु उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से गुणवत्तायुक्त 76,000 से भी अधिक ई-कन्टेन्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए। इस डिजिटल लाइब्रेरी की समृद्धता, विशिष्टता एवं नयेपन को देखते हुए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इण्डिया में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के साथ आई0आई0टी0, खड़गपुर के माध्यम से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया है। इस प्रकार कोरोना काल में प्रदेश में छात्रों को उत्तम पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी गयी जिसका लाभ 05 लाख से भी अधिक छात्रों ने घर बैठे ही उठाया।

2- उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संस्थानों में कोविड-19 के कारण शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शिक्षण कार्य कराये जाने तथा छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन हेतु सम सेमेस्टर परीक्षाएँ एवं वार्षिक परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं करायी जा सकी हैं। कतिपय विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन व परीक्षा पूर्णरूप से सेमेस्टर पद्धति पर आधारित है जबकि कतिपय विश्वविद्यालयों में यह पूर्णरूप से वार्षिक पद्धति पर आधारित है। कुछ विश्वविद्यालयों में दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलन में हैं अर्थात् कुछ पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली एवं कुछ पाठ्यक्रम वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं। वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में कतिपय विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है एवं उक्त पाठ्यक्रमों में छात्रों के मूल्यांकन का आधार वार्षिक परीक्षा है।

3- शैक्षणिक सत्र 2019-20 में भी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन एवं परीक्षा से सम्बन्धित कार्य गंभीरता से प्रभावित होने के कारण प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में इस आधार पर प्रोन्नत कर दिया गया था कि सत्र 2020-21 में ऐसे छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर उनका प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित किया जायेगा।

4- उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों के लगभग 41 लाख छात्र-छात्राओं की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के दृष्टिगत शिक्षा की गुणात्मकता को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत छात्र-छात्राओं को प्रोन्नत किये जाने अथवा उनकी परीक्षा आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं :-

1. सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा-निर्देश:-

- 1- जहां स्नातक प्रथम/तृतीय (विषम) तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएँ हो चुकी हैं वहाँ स्नातक द्वितीय/चतुर्थ (सम) सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम/तृतीय सेमेस्टर के अंको के आधार पर अंतर्वेशन से तथा मिड-टर्म/अन्तरिम मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं।
- 2- जहां विषम एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं हुई हैं वहाँ, मिड टर्म/अन्तरिम मूल्यांकन के आधार पर विषम एवं सम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जा सकते हैं।
- 3- स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ सम्पन्न करायी जायेगी। यदि स्नातक पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं हुई हो, तो अन्तिम सेमेस्टर में प्राप्त अंको के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जा सकते हैं।

2. वार्षिक परीक्षा पद्धति के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा-निर्देश:-

- 1- ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं हुई हैं, उनके छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जायेगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जा सकते हैं।
- 2- स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिये:-
  - (क)-ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएँ हुई थीं, वहाँ प्रथम वर्ष के अंको के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किये जा सकते हैं और तदनुसार छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जायेगा।
  - (ख)-ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएँ नहीं हुई थी, उनके द्वारा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ करायी जायेगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जायेगा।
- 3- स्नातक तृतीय/अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को सम्पन्न कराया जायेगा।
- 4- स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के छात्रों को उत्तरार्द्ध में प्रोन्नत किया जायेगा। जब वर्ष 2022 में उत्तरार्द्ध की परीक्षाएँ होगी, तो उनमें प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें अंतर्वेशन से पूर्वार्द्ध वर्ष हेतु अंक प्रदान किये जा सकते हैं।
- 5- स्नाकोत्तर उत्तरार्द्ध की परीक्षाएँ करायी जायेंगी।

### 3- परीक्षाओं का आयोजन

स्नातक/स्नातकोत्तर के अन्तिम सेमेस्टर एवं अन्तिम वर्ष तथा उपरोक्तानुसार यथावश्यक स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ निम्नानुसार आयोजित की जायेंगी :-

- 1-समस्त परीक्षाएँ यथासम्भव अगस्त, 2021 मध्य तक सम्पन्न करा ली जायें। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की तिथियों का निर्धारण किया जायेगा।
- 2-प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित नहीं की जायेंगी और उनके अंको का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा (Viva Voce) आवश्यकतानुसार आनलाइन सम्पन्न करायी जायेंगी।
- 3- परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण विश्वविद्यालय स्तर से किया जायेगा। परीक्षा एवं प्रश्नपत्रों का स्वरूप क्या होगा, इसका निर्णय लेने के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति/कार्य परिषद को अधिकृत किया जाता है। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि एक विषय के सभी प्रश्नपत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्नपत्र बनाने पर विचार किया जा सकता है। बहुविकल्पीय एवं ओ0एम0आर0 आधारित अथवा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नपत्र विश्वविद्यालयों की अपनी तैयारी के अनुरूप विचारणीय होंगे। यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम विशेष की परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से कराई जानी सम्भव हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारणीय होगी।
- 4- परीक्षा समयावधि 03 घण्टे के स्थान पर एक-डेढ़ घण्टे की होगी। प्रश्नपत्रों के हल करने की समयावधि आधी हो जाने के कारण उदाहरणतः परीक्षार्थियों को किसी प्रश्न पत्र में यदि 10 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने थे, उसके स्थान पर 05 प्रश्नों के उत्तर दिए जाये। इसी प्रकार लगभग 50 प्रतिशत के अनुपात में छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त विषयों के प्रश्नपत्रों में हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या निर्धारित की जा सकती हैं।
- 5- परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचाव के समस्त प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जायेगी। एक कमरे में छात्रों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो। कमरे well-ventilated हों, तथा खिड़कियों एवं रौशनदान खोलकर परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।
- 6- परीक्षा के पहले एवं बाद में सेनेटाइजेशन की व्यवस्था, अनिवार्य फेस मास्क एवं थर्मल स्कैनिंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
- 7- कोरोना संक्रमण के कारण यदि कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो उस दशा में छात्र को उस कोर्स/प्रश्नपत्र के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है जो विश्वविद्यालय की सुविधानुसार आयोजित किया जा सकेगा जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा/क्षति न हो। उपर्युक्त

प्राविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए केवल एक बार लागू होगा।

8- 31 अगस्त, 2021 तक परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

9- शैक्षणिक सत्र 2021-22 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ किया जायेगा।

10- ऐसे छात्र जो उपरोक्त व्यवस्था से परीक्षा के घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 2022 में आयोजित होने वाले बैक पेपर परीक्षा अथवा 2022-23 में आयोजित होने वाली वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त/किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंको में सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्राध्यापको, स्टाफ एवं छात्रों के वैक्सीनेशन का कार्य प्राथमिकता पर लिया जाए।

- 5- उपरोक्त दिशा-निर्देश विश्वविद्यालयों में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में है। अभियंत्रण एवं प्रबन्धन के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
- 6- कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों का सत्र नियमिति रहें एवं छात्रों का भविष्य सुरक्षित हों, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को ध्यान में रखते हुए उ0प्र उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की गयी है कि विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी परिनियमावलियों एवं अपने छात्रों की आवश्यकतानुरूप अपनी विद्या परिषद/कार्य परिषद/सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक विचार कर निर्णय लेकर परीक्षा के कार्यक्रम के साथ अपनी कार्ययोजना शासन को दिनांक 18 जून, 2021 तक प्रेषित करेंगे।

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,  
प्रयागराज।

3. कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

4. कुलसचिव,  
समस्त निजी विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2021

विषय:- कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः आरम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण विगत माह से कोविड-19 के सक्रिय केस में निरन्तर कमी आ रही है, तथापि कोविड-19 के प्रसार को नियन्त्रित करने में प्राप्त सफलता को नियमित रूप से बनाये रखने तथा इस महामारी को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/कोरोना प्रोटोकॉल को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को पठन-पाठन हेतु भौतिक रूप से संचालित किये जाने/खोले जाने पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

- (I) प्रवेश के स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत किया गया है। तदनुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थान में स्नातक द्वितीय वर्ष तथा परास्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु संस्थान दिनांक 15.08.2021 से आरम्भ किया जायेगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संस्थान में अमृत महोत्सव मनाए जाने के उपरान्त दिनांक 16 अगस्त, 2021 से नियमित कक्षाएँ एवं पठन-पाठन का कार्य आरम्भ किया जायेगा।
- (II) संस्थानों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 05.08.2021 से आरम्भ की जायेगी।
- (III) जिन संस्थानों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर किया जाता है, उन संस्थानों में पठन-पाठन का कार्य 01 सितम्बर, 2021 से आरम्भ किया जायेगा।
- (IV) जिन संस्थानों में प्रवेश-परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाता है, उन संस्थानों में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं दिनांक 13.09.2021 से आरम्भ की जायेगी।
- (V) स्नातक द्वितीय वर्ष के जिन छात्रों की वर्ष 2020-2021 में परीक्षा ली गयी है, उनका परिणाम 31 अगस्त तक घोषित कर दिया जायेगा। तदुपरान्त स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों की कक्षाएँ 06 सितम्बर, 2021 से आरम्भ की जायेगी।

(VI) स्नातक तृतीय वर्ष का परिणाम 31 अगस्त तक घोषित होगा। अतः परास्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएँ 13 सितम्बर, 2021 से आरम्भ की जायेगी।

2- शनिवार एवं रविवार को कोरोना कर्फ्यू होने के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय /शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु सोमवार से शुक्रवार तक ही संचालित किये जायेंगे।

### 3- दैनिक समय-सारणी-

- सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए संस्थानों द्वारा दैनिक टाइम टेबल बनाया जायेगा।
- विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष/डीन/कुलपति तथा महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य से यह अपेक्षा है कि कोविड-प्रोटोकाल का विशेष ध्यान रखते हुए व्यक्तिगत देख-रेख में हर कक्षा हेतु बेसिक समय-सारणी बनायी जाय और पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट आदि को यथासमय समावेश किया जाए।
- सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं को उपरोक्तानुसार अलग-अलग समय पर खोला जा रहा है।

### 4- कोविड प्रोटोकाल का विशेष ध्यान-

- संस्था में गतिविधि शुरू करने से पहले उपयोगी क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनिटाइज कराया जाय।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थानों में सभी छात्रों और शिक्षकों को एक फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विशेषतः कक्षा में, या समूहों में कोई गतिविधि करते समय, जैसे-प्रयोगशालाओं में काम करते समय या पुस्तकालयों में पढ़ते समय।
- कोविड-19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु उपाय किए जायेंगे।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय।
- क्लास रूम में छात्रों को प्रोटोकाल के नियमों को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी पर बैठाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- सफाई स्टाफ/कार्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर/मास्क, हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ०प्र० द्वारा जारी प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- गंदे न होने पर भी साबुन से हाथ धोना तथा जहाँ तक सम्भव हो, अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए।
- परिसर में थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।
- टिशू/रूमाल/फ्लेक्सिड एल्बो के साथ खांसने/छीकने के दौरान नाक एवं इस्तेमाल किए गए टिशू को डिस्पोज करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व-निगरानी और जल्द से जल्द किसी बीमारी का रिपोर्ट करना।
- सभी को आरोग्य सेतु का नियमित उपयोग करना।

#### (5) छात्रावासों में कोविड प्रोटोकाल का पालन-

छात्रावास में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित निर्देशों को संज्ञानित किया जाय :-

- छात्रावास के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन एवं सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाय।
- डायनिंग हॉल, सामान्य कमरे में छात्रों की दूरी सीमित रखी जाय।
- रसोई, डायनिंग हॉल, बाथरूम एवं शौचालय आदि की स्वच्छता की निगरानी नियमित रूप से रखी जाय।
- डायनिंग हॉल में भीड़ से बचने के लिये छोटे-छोटे बैच में छात्रों को भोजन के लिये बुलाया जाय चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भोजन ताजा पका हुआ हो तथा एक वरिष्ठ कर्मचारी की निगरानी में भोजन बनाया जाना चाहिए तथा बर्तन साफ-सुथरे होने चाहिए।
- भोजन बनाए जाने से पूर्व कर्मचारियों द्वारा फेस कवर, मास्क तथा हाथों को सेनेटाइज किया जाना आवश्यक है।
- छात्रों एवं कर्मचारियों को बाजार में जाने से बचना चाहिए। जहां तक सम्भव हो आवश्यक वस्तुओं को परिसर के भीतर ही उपलब्ध कराया जाय।
- हॉस्टल के भोजन कक्ष में छात्रों की संख्या को निर्धारण कर सकते हैं। भीड़भाड़ से बचने के लिये मेस टाइमिंग बढ़ाई जाय।

(6) स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर अध्यापकों, स्टाफ एवं छात्रों के वैक्सीनेशन का कार्य प्राथमिकता पर किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,



( मोनिका एस. गर्ग )

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 376/11/सा. 5/22/समुदायिक

संविधानिक विधायिका की संरचना में संशोधन का निर्णय 2011

1. निर्देश संविधान के अनुच्छेद 163 का अर्थ
2. अनुच्छेद 163 के अन्वये
3. अनुच्छेद 163 के अन्वये अनुच्छेद 163 का अर्थ
4. अनुच्छेद 163 के अन्वये अनुच्छेद 163 का अर्थ
5. अनुच्छेद 163 के अन्वये अनुच्छेद 163 का अर्थ
6. अनुच्छेद 163 के अन्वये अनुच्छेद 163 का अर्थ
7. अनुच्छेद 163 के अन्वये अनुच्छेद 163 का अर्थ
8. अनुच्छेद 163 के अन्वये अनुच्छेद 163 का अर्थ
9. अनुच्छेद 163 के अन्वये अनुच्छेद 163 का अर्थ

संख्या 376/11/सा. 5/22/समुदायिक  
(संविधानिक विधायिका)  
की संरचना में संशोधन का निर्णय 2011